

202 - 22 फरवरी

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961  
(कल्पनी नियम और आदेत)

प्रस्तुति 24क  
(नियम 85ख देखिए)

यह प्रस्तुति आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन सर्वोच्च वित्तीय वर्ष के दौरान राजनीतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के रामबाई फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन घूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1. राजनीतिक दल का नाम : भारतीय राजनीतिक दल

2. राजनीतिक दल की प्रास्तिक  
(मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :

3. राजनीतिक दल के मुख्यात्मक पता :

4. निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दल के

रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/  
सर्किल जहां राजनीतिक दल की विवरणी फाइल  
की जानी है.....

6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक हैं, और

क्रम सं.	अभिदायी व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां
1	<u>भिक्षु</u>	<u>भिक्षु</u>	<u>भिक्षु</u>	<u>भिक्षु</u>	<u>भिक्षु</u>
2	—	—	—	—	—

\* चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चेक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित रातों का अनुपातन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

सत्यापन  
मैं, भिक्षु (स्पष्ट अधारों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री, भिक्षु, संस्कृत से घोषणा करता हूं  
कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रस्तुति में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनीतिक दल की ओर से, भिक्षु की अपनी हसियत में  
इस प्रस्तुति को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

(कोपाच्यक/ प्राधिकृत संस्कृतिकाला हरतादार और नाम)

राष्ट्रीय अध्यक्ष  
शक्ति सेना (भारत देश)  
भारत देश

तारीख : .....

